



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092025-266326
CG-DL-E-23092025-266326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4155]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947

No. 4155]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

का.आ. 4273(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की आंध्रप्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0.000 कि.मी. से 55.900 कि.मी. तक के भूखण्ड (मदनपल्ली से पिलेरू सेक्शन)के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संयुक्त कलेक्टर, अन्नमययाको लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथाऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और.

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0.000 कि.मी. से 55.900 कि.मी. तक (मदनपल्ली से पिलेरू खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: अन्नमयया		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मदनपल्ली					
गांव का नाम: बासनिकोंडा					
1	12	निजी (पट्टा)	ड्राय	20.235 (वर्ग मीटर)	0.0020235
2	6/1B	निजी (पट्टा)	ड्राय	60.705 (वर्ग मीटर)	0.0060705
3	6/1B	निजी (पट्टा)	ड्राय	80.94 (वर्ग मीटर)	0.008094
4	6/1B	निजी (पट्टा)	ड्राय	60.705 (वर्ग मीटर)	0.0060705
5	6/5A2	निजी (पट्टा)	ड्राय	70.823 (वर्ग मीटर)	0.0070823
6	6/5A2	निजी (पट्टा)	ड्राय	103.198 (वर्ग मीटर)	0.0103198
7	6/5A2	निजी (पट्टा)	ड्राय	80.94 (वर्ग मीटर)	0.008094
8	6/5B	निजी (पट्टा)	ड्राय	40.47 (वर्ग मीटर)	0.004047
गांव का नाम: वेंकप्पाकोटा					
9	2/1B1	निजी	ड्राय	323.755 (वर्ग मीटर)	0.0323755
10	2/2B1	निजी (पट्टा)	ड्राय	364.224 (वर्ग मीटर)	0.0364224
11	2/3B1	निजी (पट्टा)	ड्राय	242.816 (वर्ग मीटर)	0.0242816
12	2/4B1	निजी (पट्टा)	ड्राय	121.408 (वर्ग मीटर)	0.0121408
13	2/5B1	निजी	ड्राय	161.877 (वर्ग मीटर)	0.0161877
14	2/6B1	निजी (पट्टा)	ड्राय	242.816 (वर्ग मीटर)	0.0242816
15	9/6	निजी	ड्राय	80.94 (वर्ग मीटर)	0.008094
गांव का नाम: बन्डा मीदा कम्मा पल्ली					
16	445/3	निजी (पट्टा)	ड्राय	1375.98 (वर्ग मीटर)	0.137598
तालुक का नाम: वायलपाडु					
गांव का नाम: चितपति					
17	1174/1B	निजी (पट्टा)	वेट	2832.861 (वर्ग मीटर)	0.283286
तालुक का नाम: पिलेरू					
गांव का नाम: दोड्डिपल्ले					
18	197/1	निजी (पट्टा)	ड्राय	930.79 (वर्ग मीटर)	0.093079

गांव का नाम: गूडारेवुपल्ले					
19	166/1A	सरकारी (पोराम्बोके)	हिल स्ट्रीम	1821.11 (वर्ग मीटर)	0.182111
20	166/3A	सरकारी (डीकेटी)	ड्राय	566.57 (वर्ग मीटर)	0.056657
Total					0.9583162

[फा. सं. 070MP-04/1/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2025

S.O. 4273(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 71 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 55.900 (Madanapalli to Piler Section) in the district of Annamayya in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Joint Collector, Annamayya in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 55+900 (Madanapalli - Piler Section) of the National Highway No. 71 in the District of Annamayya in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: Annamayya		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Madanapalle					
Village: Basinikonda					
1	12	Private (Patta)	Dry	20.235 (Square Meter)	0.0020235
2	6/1B	Private (Patta)	Dry	60.705 (Square Meter)	0.0060705
3	6/1B	Private (Patta)	Dry	80.94 (Square Meter)	0.008094

4	6/1B	Private (Patta)	Dry	60.705 (Square Meter)	0.0060705
5	6/5A2	Private (Patta)	Dry	70.823 (Square Meter)	0.0070823
6	6/5A2	Private (Patta)	Dry	103.198 (Square Meter)	0.0103198
7	6/5A2	Private (Patta)	Dry	80.94 (Square Meter)	0.008094
8	6/5B	Private (Patta)	Dry	40.47 (Square Meter)	0.004047
Village: Venkappakota					
9	2/1B1	Private (Patta)	Dry	323.755 (Square Meter)	0.0323755
10	2/2B1	Private (Patta)	Dry	364.224 (Square Meter)	0.0364224
11	2/3B1	Private (Patta)	Dry	242.816 (Square Meter)	0.0242816
12	2/4B1	Private (Patta)	Dry	121.408 (Square Meter)	0.0121408
13	2/5B1	Private (Patta)	Dry	161.877 (Square Meter)	0.0161877
14	2/6B1	Private (Patta)	Dry	242.816 (Square Meter)	0.0242816
15	9/6	Private (Patta)	Dry	80.94 (Square Meter)	0.008094
Village: Banda Meeda Kamma Palle					
16	445/3	Private (Patta)	Dry	1375.98 (Square Meter)	0.137598
Taluk: Vayalpadu					
Village: Chintaparathi					
17	1174/1B	Private (Patta)	Wet	2832.861 (Square Meter)	0.283286
Taluk: Pileru					
Village: Doddipalle					
18	197/1	Private (Patta)	Dry	930.79 (Square Meter)	0.093079
Village: Gudarevupalle					
19	166/1A	Government (Poramboke)	Hill Stream	1821.11 (Square Meter)	0.182111
20	166/3A	Government (DKT)	Dry	566.57 (Square Meter)	0.056657
Total					0.9583162

[F. No. 070MP-04/1/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director